(10)

नामांतरण अपील वाद सं० – 03/19-20
संतोष सोनार
बनाम
रामेश्वर सोनार

आदेश.

17/11/2021

आदेश हेतु अभिलेख उपस्थित। प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, खरिया द्वारा नामांतरण वाद सं०- 707/R27, 2018-19 में पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है। अपीलकर्ता के अनुसार प्रथम पक्ष को बजरिये केवाला सं०- 57, दिनांक- 02/01/1970 के द्वारा उनके पिता लोकी सोनार को भूमि हासिल है। भूमि क्रय के पश्चात् प्रथम पक्ष उक्त भूमि पर मकान बना कर रह रहा है। इस जमीन का अंचल कार्यालय खरिया के पंजी-2 के भाग सं०- 32, पेज सं०- 67 में जमाबंदी दर्ज है तथा वर्ष 2015-16 तक रसीद हासिल है।

प्रथम पक्ष की माता को एक अन्य केवाला सं०-77, दिनांक- 03/01/1957 द्वारा हासिल है। इस केवाला की जमीन का रसीद वर्ष 2016-17 तक निर्गत है। अंचल अधिकारी खरिया द्वारा दाखिल-खारिज वाद सं०- 707 R27, 2018-19 के अन्तर्गत मेरे रकबा को शून्य कर दिया गया है। आगे उनका कहना है कि इस भूमि से सम्बन्धित दीवानी वाद - 40/2017 व्यवहार न्यायालय में लंबित है, अत: नामांतरण आदेश पारित करना उचित नहीं है जिससे

1	2	टिप्पणी तारीख सहित 3
	विलोपित किया जाना चाहिये।	

द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित अभिकथन दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के अनुसार रामेश्वर सोनार को प्रश्नगत सम्पत्ति विक्रय पत्र के माध्यम से वर्ष 1968 ई० में प्राप्त है। खरीदगी के पश्चात् जमाबंदी यशोदा देवी पति रूपन सोनार के नाम पर कायम है तथा वर्ष 2019 तक मालगुजारी रसीद निर्गत है। [illegible] जमीन लेने के बाद मकान, कुआँ एवं डीप बोरिंग करवा कर अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं। अतः अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

अंचल अधिकारी, खरिमा द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी ने अपने आदेश में अंकित किया है कि जमीन पर आवेदक का दखल-कब्जा है तथा किसी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं गई है, अतः नामांतरण को स्वीकृत किया गया।

अपीलकर्ता द्वारा अपने दखल-कब्जा के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं

और तारीख		टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

उपलब्ध कराया गया/साथ ही इश्तहार बाद आपत्ति दाखिल होने के 30 दिनों बाद मामला जाता है।

"The Bihar Tenants' Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973 की धारा 14(2) के अनुसार —

"14(2) The Anchal Adhikari shall issue a general notice and also give notice to the parties concerned to file objection, if any, within fifteen days of the issue of the notice. On receipt of objection, if any, the Anchal Adhikari shall give reasonable opportunity to the parties to adduce evidences if any, and of being heard and dispose of the objection and pass such orders as may be deemed necessary. (3) In cases in which no objection are received the Anchal Adhikari shall dispose them of within one month of the date of expiry of filling objection ...." इश्तहार नाजिरात

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	वाद में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी। प्रश्नगत भूमि पर आपत्तिकर्ता का दखल-कब्जा भी प्रमाणित नहीं हो पाया। उक्त विवेचन के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अंचल अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यह वाद व्यवहार न्यायालय में पारित आदेश से प्रभावित होगा। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। अंचल अधिकारी सरिया को इस आदेश से अवगत करावें। ह० 17/11/2021 LRDC.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.11.25 16:56:08 +05:30
Location: 192.168.43.238